"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 210]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2020 — वैशाख 4, शक 1942

संस्कृति विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1—61/2017/30/सं. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, "छत्तीसगढ़ पुरातत्व, अभिलेखागार, संग्रहालय, राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित अलिपिकीय) सेवा" में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

- 1. सक्षिप्त नाम तथा प्रारम :--
 - (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ पुरातत्व, अभिलेखागार, संग्रहालय, राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित अलिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2020" कहलायेंगे।
 - (2) ये नियम ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएँ :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, आयुक्त / संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व;
 - (ख) **''सिमिति''** से अभिप्रेत[ँ] है, क्रमशः नियम 11 एवं 13 के अंतर्गत गठित चयन सिमिति / विभागीय पदोन्नित समितिः
 - (ग) **''परीक्षा''** से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;
 - (घ) **''शासन''** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;
 - (ङ) **''राज्यपाल'**' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
 - (च) "अन्स्ची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अन्स्ची;
 - (छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विर्निदिष्ट अनुसूचित जाति;
 - (ज) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विर्निदिष्ट अनुसूचित जनजाति;
 - (झ) **''अन्य पिछड़े वर्ग''** से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनाँक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
 - (ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पुरातत्त्व, अभिलेखागार, संग्रहालय, राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित लिपिकीय) सेवा;
 - (ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

- 3. विस्तार तथा लागू होना :— छत्तीसगढ़ सिविल (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
- 4. सेवा का गठन :- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-
 - (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों;
 - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और
 - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।
- 5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि :— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलत पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे;

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय—समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. भर्ती का तरीका :-

- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—
 - (क) प्रतियोगी परीक्षा अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;
 - (ख) अनुसूची—चार के कॉलम—(2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
 - (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसे सेवा में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।
- (2) उप—िनयम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालाविध के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा अवधारित की जाएगी।
- (4) उप—नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप—नियम में

विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

- (5) मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मापदण्ड, शासन द्वारा विहित किये जायेंगे। तथापि; नियुक्ति प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।
- (6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।
- 7. सेवा में नियुक्ति :— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम—6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
- 8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें :— सीधी भरती / चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :— (एक) आयु
 - (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।
 - (ख) यदि अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गीं (गैर-क्रीमी-लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
 - (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु—सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
 - (घ) उन अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:—
 - (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी या स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

- (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी / स्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
- (तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु—सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पटीकरण :— शब्द "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालाविध तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु—सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 (छः) माह की कालाविध तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात :—

- (एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
- (दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें -
 - (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
 - (ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जानें पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।
- (तीन) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक;

- (चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);
- (पाँच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पित / पत्नी के सम्बन्ध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) ऐसे अभ्यर्थीयों के सम्बन्ध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन—कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालाविध के लिये, उच्चतर आयु—सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ञ) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला / विधवा / तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत् मिलती रहेगी;

परन्तु, यह कि उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के सम्बन्ध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- टिप्पणी (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम—8 के खण्ड (एक) के उप—खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा / चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा / चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे

देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

- (2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएँ शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थीयों को परीक्षा / चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।
- (दो) शैक्षणिक अर्हताएँ तथा अनुभव अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएँ तथा अनुभव होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची—तीन के कॉलम—(5) में दर्शित है।
- (तीन) (क) शुल्क अभ्यर्थी को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।
 - (ख) चिकित्सा शुल्क उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो, चिकित्सीय परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- 9. निरर्हता :- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में / चयन हेत् उपस्थित होने हेत् निरर्हित माना जायेगा।
 - (2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी;

परन्तु, यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये;

परन्तु, आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जाँच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष टहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु, यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम निराकरण न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :--

- (1) परीक्षा / चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के सम्बन्ध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा / चयन में उपस्थित होने के अनुमित नहीं दी जायेगी।
- (2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. प्रतियोगी परीक्षा / चयन द्वारा सीधी भर्ती :--

- (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती -
 - (एक) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।
 - (दो) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से, समय—समय पर अवधारित करे।
 - (तीन) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा आयोजित की जाएगी।

(2) चयन द्वारा सीधी भर्ती -

- (एक) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अंतरालों पर किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।
- (दो) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन, साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
- (तीन) चयन समिति का गठन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समुचित समय अंतरालों पर किया जायेगा।

- (3) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम—12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से सम्बन्धित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप-नियम (3) के अनुसार, यथास्थिति; अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किया जा सकेगा।
- (6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30% पदों को महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा जायेगा।
- (7) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालाविध का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गी (गैर—क्रीमी—लेयर) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गीं (गैर—क्रीमी—लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।
- (8) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति तथा भूतपूर्व सैनिक के लिये पदों को शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश के अनुसार आरक्षण रखा जायेगा।

12. समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची :--

(1) सिमिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन सिमित द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर—क्रीमी—लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जो यद्यपि उस स्तर में अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए सिमित द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, की एक सूची

तैयार करेगी तथा उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

- (2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्त के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

12—(क) लिपिकीय सेवा संवर्ग (कैंडर) से वरिष्ठ मार्गदर्शक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयन :—

- (1) वरिष्ठ मार्गदर्शक की उपलब्ध रिक्तियों के 25 प्रतिशत पद, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, प्रत्येक वर्ष ऐसी तारीख को, जैसा कि वह अवधारित करे, अनुसूची—पांच में विनिर्दिष्ट योजना के अनुसार सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा संचालक, पुरातत्व, अभिलेखागार, संग्रहालय एवं संस्कृति के कार्यालयों के लिपिकीय सेवा से भरे जाएंगे।
- (2) विरष्ठ मार्गदर्शक (गाईड) के पद की उपलब्ध रिक्तियों को उन अभ्यर्थियों के लिए, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर—क्रीमी—लेयर) के हैं, के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों तथा शासन द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित रखा जाएगा।
- (3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें उनके नाम नियम 12 (1) में निर्दिष्ट सूची में आए हों, भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (4) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (5) नियुक्ति के लिए अनुशंसित उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची अनुसूची—पांच के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अभ्यर्थियों को, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करे, और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर—क्रीमी—लेयर) के ऐसे अभ्यर्थियों की, जो यद्यपि उस स्तर के अर्हित नहीं हैं, किन्तु जिन्हें समिति ने प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, सूची तैयार की जाएगी। यह सूची समिति द्वारा जारी की जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगी।

- (6) उन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अभ्यर्थियों की उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।
- (7) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सिम्मिलित किया जाना ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :--

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नित हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची—चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे;

परन्तु, इस उप—िनयम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

- (2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।
- (3) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार होगी।
- (4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप—नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नित आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्टांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा—6 की उप—धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें :--

- (1) उप—नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नित की जानी है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप—नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।
- स्पष्टीकरण :- पदोन्नित के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति सम्बन्धित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नित समिति आहुत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अईकारी सेवा की

अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग / सेवा के भाग / पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग / सेवा के भाग / पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

- (2) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार की जाएगी।
- (3) पदोन्नति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी आदेश के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जाएगी।

15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :--

- (1) सिमिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम—13 एवं 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें सिमिति द्वारा सेवा में पदोन्नित के लिए उपयुक्त समक्षा गया हो। यह सूची, सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालाविध के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदोन्नित के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।
- (2) ऐसी सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु चयन, गुणागुण (मेरिट) तथा सभी संदर्भों में उपयुक्तता (वरिष्ठता—सह—उपयुक्तता) पर आधारित होगी।
- (3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची तैयार किये जाने के समय, सूची में सिम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची—चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण — ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, विरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. चयन सूची :--

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची—चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।
- (2) चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी:

परन्तु, चयन सूची में सिम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण अथवा कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :--

- (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारी की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारी के नाम, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नित) नियम, 2003 के अनुसार चयन सूची में आये हों।
- (2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सिम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व सिमिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालाविध के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

18. परिवीक्षा / परीक्षण :--

- (1) (क) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 (दो) वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
 - (ख) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम 1 (एक) वर्ष तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।
 - (ग) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, कर्मचारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जायेगा।
- 19. निर्वचन :- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।
- 20. शिथिलीकरण :— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है;

परन्तु, मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

21. निरसन एवं व्यावृत्ति :--

(1) इन नियमों के तत्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इस नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं; परन्तु, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाई, इन नियमों के तत्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय—समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्बलगन पी., सचिव.

अनुसूची—एक (नियम—4 एवं 5 देखिए) सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स.	सेवा में सम्मिलित	पदों की	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
क.	पदों के नाम	संख्या	441147	40 1111	10 411
	13. 1. 11.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	सहायक प्रोग्रामर	01	तृतीय श्रेणी,	पे-बैंड 9300-34800	ब्रम्हस्वरूप समिति
			(अराजपत्रित	लेवल—09	की अनुशंसा के
			अलिपिकीय)		अनुसार
02.	पर्यवेक्षक	01	——तदैव——	पे बैंड _. 9300-34800	ब्रम्हस्वरूप समिति
			_	लेवल—09	की अनुशंसा अनुसार
03.	रसायनज्ञ	02	——तदैव——	पे बैंड 9300-34800	ब्रम्हस्वरूप समिति
			_	लेवल—09	की अनुशंसा अनुसार
04.	वरिष्ठ मार्गदर्शक	03	——तदैव——	पे बैंड 9300-34800	ब्रम्हस्वरूप समिति
			_	लेवल—09	की अनुशंसा अनुसार
05.	सहायक पुरालेख	01	——तदैव——	पे बैंड 9300-34800	
	अधिकारी			लेवल—09	
06.	अनुदेशक	02	तदैव	पे बैंड _. 9300—34800	
			_	लेवल—09	
07.	सहायक ग्रंथपाल	02	——तदैव——	पे बैंड 9300-34800	
				लेवल—08	
08.	उपयंत्री	04	तदैव	पे बैंड 9300-34800	
	_			लेवल-08	
09.	मानचित्रकार	02	तदैव	पे बैंड ्9300—34800	
				लेवल-08	
10.	कलाकार	02	तदैव	पे बैंड 9300-34800	ब्रम्हस्वरूप समिति
				लेवल-08	की अनुशंसा अनुसार
11.	सहायक उद्यान	01	——तदैव——	पे बैंड 9300-34800	प्रतिनियुक्ति द्वारा
	विकास अधिकारी			लेवल-08	
12.	शोध सहायक	02	——तदैव——	पे बैंड़् 9300—34800	
				लेवल-08	
13.	उत्खनन सहायक	03	——तदैव——	पे बैंड _् 5200—20200	
				लेवल—07	
14.	अनुवादक	02	——तदैव——	पे बैंड ्5200—20200	
				लेवल-07	
15.	तकनीकी सहायक	02	——तदैव——	पे बैंड _् 5200—20200	
	(लेखन)			लेवल-07	
16.	मार्गदर्शक	04	——तदैव——	पे बैंड ्5200—20200	
				लेवल—07	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	सहायक रसायनज्ञ	02	——तदैव——	पे बैंड 5200-20200	
				लेवल—07	
18.	सहायक कलाकार	02	——तदैव——	पे बैंड 5200-20200	
				लेवल—07	
19.	सहायक	01	——तदैव——	पे बैंड 5200-20200	
	पुरालेखपाल			लेवल—07	
20.	स्वागतकर्ता	02	——तदैव——	पे बैंड 5200-20200	
				लेवल—07	
21.	विडियोग्राफर/	01	तदैव	पे बैंड 5200-20200	ब्रम्हस्वरूप समिति
	छायाचित्रकार			लेवल—07	की अनुशंसा के
					अनुसार
22.	सर्वेयर	03	तदैव	पे बैंड 5200-20200	
				लेवल—06	
23.	मोल्डर / सेल्समेन	02	——तदैव——	पे बैंड 5200-20200	
				लेवल—04	
24.	बाईन्डर	01	——तदैव——	पे बैंड _़ 5200—20200	
				लेवल—04	
25.	वाहन चालक	03	——तदैव——	पे बैंड _़ 5200—20200	
				लेवल—04	

अनुसूची—दो (नियम 6 देखिए) भर्ती का तरीका

स.	पद तथा सेवा	पदों की	भरे जाने	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत					
क्र.	का नाम	कुल संख्या	सीधी भर्ती द्वारा (नियम–6	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा ((नियम–6	व्यक्ति के स्थानांतरण/				
			(1)(ক))	(1)(ख)))	प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम–6(1)(ग))				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
01.	सहायक प्रोग्रामर	01	100 %						
02.	पर्यवेक्षक	01	100 %						
03.	रसायनज्ञ	02	50 %	50 %					
04.	वरिष्ठ मार्गदर्शक	03		75 % मार्गदर्शक पद से, एवं 25 % लिपिकीय सेवा के कर्मचारियों से		(नियम 12—(क))			
05.	सहायक पुरालेख अधिकारी	01	_	100 %					
06.	अनुदेशक	02	100 %						
07.	सहायक ग्रंथपाल	02	100 %						
08.	उपयंत्री	04	100 %						
09.	मानचित्रकार	02	50 %	50 %					
10.	कलाकार	02		100 %					
11.	सहायक उद्यान विकास अधिकारी	01			100 %	प्रतिनियक्त द्वारा			
12.	शोध सहायक	02	50 %	50 %		यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो सीधी भर्ती से भरा जावेगा।			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	उत्खनन सहायक	03	100 %			
14.	अनुवादक	02	100 %			
15.	तकनीकी सहायक (लेखन)	02	100 %			
16.	मार्गदर्शक	04	100 %			
17.	सहायक रसायनज्ञ	02	100 %			
18.	सहायक कलाकार	02		100 %		
19.	सहायक पुरालेखपाल	01		100 %		
20.	स्वागतकर्ता	02	100 %			
21.	विडियोग्राफर / छायाचित्रकार	01	100 %			
22.	सर्वेयर	03	100 %			
23.	मोल्डर / सेल्समेन	02	50 %	50 %		
24.	बाईन्डर	01	100 %			
25.	वाहन चालक	03	100 %			

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिये)

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

सेवा में	न्यूनतम	अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अनुभव
सम्मिलित	आयु	आयु	
(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	अनिवार्य – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से
प्रोग्रामर			कम्प्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में एम.सी.
			एम. / एम.सी.ए. / एम.एस.सी. / बी.ई. / बी.टेक
			डिग्री या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
			द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ
			डी.ओ.ई. से 'ए' लेवल कोर्स या किसी मान्यता
			प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.जी.डी.सी.ए. तथा
			प्रोग्रामिंग / सॉफ्टवेयर डेव्लपमेंट में तीन वर्षी
			का अनुभव।
			वाँछनीय – यूनिक्स / ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर / विन्डोज
			एन.टी. में कार्य करने के अनुभव वाले को
			अधिमान दिया जावेगा।
पर्यवेक्षक	18 वर्ष	35 वर्ष	अनिवार्य – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन
			भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व में
			द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।
			वाँछनीय – पुरासम्पदा का संरक्षण / उत्खनन कार्य का
			व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को
	2 - 2 .		प्राथमिकता दी जायेगी।
रसायनज्ञ	18 वष	35 वष	अनिवार्य – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन
			शास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर
			उपाधि ।
			वाँछनीय – पुरासम्पदा का रसायनिक संरक्षण कार्य का
			व्यावहारिक कार्य अनुभव।
	सम्मिलित पदों के नाम (2) सहायक प्रोग्रामर	सम्मिलित अायु सीमा (2) (3) सहायक 18 वर्ष प्रोग्रामर पर्यवेक्षक 18 वर्ष	सम्मिलित सीमा सीमा (2) (3) (4) सहायक 18 वर्ष 35 वर्ष पर्यवेक्षक 18 वर्ष 35 वर्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
04.	अनुदेशक	18 वर्ष	35 वर्ष	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उपाधि।				
				(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था / शीघ्रलेखन (शॉर्टहैण्ड)				
				तथा मुद्रलेखन परिषद से –				
				(क) शीघ्रलेखक हिन्दी के लिए – हिन्दी शीघ्रलेखन				
				(शॉर्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन				
				(शॉर्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के				
				लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी।)				
				(ख) शीघ्रलेखक अंग्रेजी के लिए – अंग्रेजी शीघ्रलेखन				
				(शॉर्टहैण्ड) प्रमाणपत्र उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन				
				(शॉर्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के				
				लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी।)				
				(ग) अनुदेशक पद के लिए ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में				
				विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन				
				(शॉर्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं				
				शीघ्रलेखन (शॉर्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की				
				गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी।)				
				(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री				
				ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा				
				डाटा एंट्री की गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा				
05.	सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	की गति। (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी।) अनिवार्य — किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय				
03.		10 44	00 44	विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि।				
	ग्रंथपाल			वाँछनीय – किसी मान्यता प्राप्त ग्रंथालय में पुस्तकालय विज्ञान				
				का ०३ वर्ष का कार्यानुभव।				
06.	उपयंत्री	18 वर्ष	35 वर्ष	अनिवार्य — हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त किसी				
				संस्था से कम से कम सिविल इंजीनियरिंग में				
				त्रि—वर्षीय पत्रोपाधि उत्तीर्ण।				
				वांछनीय — संबंधित कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का				
				कार्यानुभव।				
07.	मानचित्रकार	18 वर्ष	35 वर्ष					
				संस्था से त्रि—वर्षीय पत्रोपाधि अथवा ड्राफ्टमैन				
				(मानचित्रकार) में प्रमाण पत्र। वाँछनीय — संबंधित कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव।				
				नाजनान — राषावरा पर्राप पर्रा पर्रा पर्र पप पर्रा अनुगप।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
08.	शोध सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	अनिवार्य — किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.ए. अथवा समकक्ष उपाधि उत्तीर्ण, जिसमें हिन्दी एक विषय हो।
				वाँछनीय— संस्कृत एवं विधि के ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा भाषा विज्ञान / साहित्य में पी.एच.डी. रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
09.	उत्खनन सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।
				वाँछनीय— पुरासम्पदा / उत्खनन कार्य का दो वर्ष का व्यावहारिक कार्य अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
10.	अनुवादक	18 वर्ष	35 वर्ष	में स्नातकोत्तर उपाधि।
				वाँछनीय— स्नातक स्तर पर दूसरी भाषा अर्थात् यदि हिन्दी / संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर हो तो स्नातक स्तर पर अंग्रेजी साहित्य और यदि अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर हो तो स्नातक स्तर पर हिन्दी विषय वैकल्पिक विषय के रूप में होने चाहिए। विधि एवं संस्कृत का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
11.	तकनीकी सहायक (लेखन)	18 वर्ष	35 वर्ष	अनिवार्य — किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। वाँछनीय — संस्कृत, ब्राम्ही, पाली, अरबी, फारसी में किसी भाषा का कार्य साधक ज्ञान तथा लेखन का अनुभव।
12.	मार्गदर्शक	18 वर्ष	35 वर्ष	भारतीय इतिहास में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा इन ऑर्कियोलॉजी/ म्यूजियोलॉजी अथवा समकक्ष।
13.	सहायक रसायनज्ञ	18 वर्ष	35 वर्ष	अनिवार्य — किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालाय से रसायन शास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण।
14.	स्वागतकर्ता	18 वर्ष	35 वर्ष	अनिवार्य — किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा। सामाजिक अभियांत्रिकीय कार्य/एम.एस.डब्ल्यू या मान्यता प्राप्त संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	विडियोग्राफर /	18 वर्ष	35 वर्ष	अनिवार्य – हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से
	छायाचित्रकार			विडियोग्राफी / फोटोग्राफी में पत्रोपाधि प्रमाणपत्र।
				वाँछनीय – स्थिर फोटोग्राफी / फील्ड फोटोग्राफी का कम से
				कम तीन वर्ष का अनुभव।
16.	सर्वेयर	18 वर्ष	35 वर्ष	अनिवार्य – हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त
				संस्था से सर्वेयर का प्रमाण पत्र।
				वाँछनीय — सर्वेयर कार्य पर 02 वर्ष का व्यावहारिक कार्य
				अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी
	,			जायेगी।
17.	मोल्डर /	18 वर्ष	35 वर्ष	अनिवार्य – हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा शासन द्वारा
	सेल्समेन			मान्यता प्राप्त संस्था से मोल्डिंग ट्रेड में आई.टी.
				आई. का प्रमाण पत्र।
18.	बाईंडर	18 वर्ष	35 वर्ष	,
				मान्यता प्राप्त संस्था से बाईडिंग ट्रेड में आई.टी.
				आई. का प्रमाण पत्र।
19.	वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	अनिवार्य – आठवीं उत्तीर्ण तथा हल्के या भारी वाहन चालक
				का जीवित ड्राईविंग लायसेंस।

टीप :- ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची—चार (नियम—13 एवं 14 देखिए)

स. क्र.	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए अनुभव की पात्रता की कालावधि	उस पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	सहायक रसायनज्ञ	5 वर्ष	रसायनज्ञ	(1) आयुक्त / संचालक, पुरातत्व, अभिलेखागार, संग्रहालय, राजभाषा एवं संस्कृति — अध्यक्ष (2) उप संचालक — सदस्य (3) आयुक्त / संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी — सदस्य (4) उपसंचालक (प्रशासन) प्रशासकीय अधिकारी, — संयोजक सदस्य	_
02.	मार्गदर्शक पद से 75% एवं लिपिकीय सेवा से 25 %	5 वर्ष	वरिष्ठ मार्गदर्शक	——तदैव——	_
03.	अनुवादक	5 वर्ष	शोध सहायक	—–तदैव—–	_
04.	सर्वेयर	12 वर्ष	मानचित्रकार	—–तदेव—–	_
05.	सहायक कलाकार	5 वर्ष	कलाकार	—–तदैव—–	_
06.	मोल्डर / सेल्समैन	5 वर्ष	सहायक कलाकार	तदैव	_
07.	सहायक पुरालेखपाल	5 वर्ष	सहायक पुरालेख अधिकारी	—–तदैव—–	_
08.	बाईन्डर	5 वर्ष तथा भारतीय इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष	सहायक पुरालेखपाल	—-तदैव—-	_

अनुसूची—पाँच (नियम 12—(क) देखिए)

सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा लिपिकीय सेवा से वरिष्ठ मार्गदर्शक के पदों पर नियुक्ति के लिए योजना

- (1) संक्षिप्त नाम :— यह योजना छत्तीसगढ़ पुरातत्त्व, अभिलेखागार, संग्रहालय, राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय की लिपिकीय सेवा में से वरिष्ठ मार्गदर्शक का चयन द्वारा भर्ती हेतु योजना कहलायेगी।
- (2) **(क) पात्रता :-** इस योजना में लिपिकीय सेवा के केवल वे सदस्य पात्र होंगे, जो निम्नलिखित अर्हताएँ रखते हों, अर्थात् :-
 - (एक) जिसने संचालनालय, पुरातत्त्व, अभिलेखागार, संग्रहालय, राजभाषा एवं संस्कृति के कार्यालय / विभाग में लिपिकीय सेवा में पाँच वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो।
 - (दो) जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा इन म्यूजोलॉजी/ आर्कियोलॉजी की शैक्षणिक अर्हता रखता हो।
 - (तीन) वर्ष जिसमें नियुक्ति हेतु उसका चयन किया जाना है, की पहली जनवरी को उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
 - (ख) शारीरिक योग्यता :— यदि किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु शारीरिक योग्यता विहित की गई है, तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए।
- (3) चयन :- नियुक्ति के लिए चयन -
 - (1) सफल अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा; और
 - (2) कर्मचारियों की विगत पाँच वर्ष की गोपनीय रिपोर्ट के मूल्यांकन पर चयन हेतु विचार किया जाएगा।
- (4) **परीक्षा**:— (एक) नियुक्ति प्राधिकारी, प्रत्येक वर्ष एक लिखित परीक्षा ऐसी रीति में, ऐसी तारीख और स्थानों पर आयोजित करेगा, जैसा कि उसके अवधारित किया जाए।
 - (दो) लिखित परीक्षा हेतु दो प्रश्न–पत्र होंगे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्नपत्र 2½ घण्टों की अवधि का 50 अंकों का होगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्न–पत्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(तीन) प्रश्न–पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार करवाये जायेंगे तथा इसमें निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जायेगा –

प्रश्नपत्र - एक

सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी और प्रारंभिक गणित।

प्रश्नपत्र – दो

- 1. विभाग में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान।
- 2. शासकीय सेवा से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान।
- 3. विभाग से सम्बन्धित अधिनियम, नियम, उपनियम, निर्देशों आदि का ज्ञान जिनके अधीन विभाग, कार्य करता है।
- (चार) प्रश्न-पत्र के लिए पाठ्यक्रम इससे संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है।
- (पाँच) इस परीक्षा में प्रवेश के लिए ऐसे कर्मचारी पात्र होंगे जो उपरोक्त पैरा (2) में अधिकथित अर्हता पूरी करते हों, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस परीक्षा में प्रवेश के लिए आशयित अभ्यर्थियों से आवेदन, परीक्षा लिए जाने हेतु नियत तारीख से कम से कम एक मास पूर्व आमंत्रित किए जायेंगे। उन आवेदकों, जो इस परीक्षा के लिए पात्र पाए जाएँ, को परीक्षा की तारीख, स्थान तथा समय की संसूचना दी जाएगी।
- (छः) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित विभाग के अधिकारी से कराया जाएगा।
- (सात) ऐसे अभ्यर्थियों की सूची, पृथक् से तैयार की जाएगी, जिन्होंने प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।

(5) चरित्रावली का मूल्यांकन तथा अंतिम चयन सूचियाँ :--

- (एक) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके नाम पैरा (4)(सात) के अनुसार तैयार की गई चयन सूची में सिम्मिलित हों, की विगत पाँच वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट का मूल्यांकन, अनुसूची—चार के कॉलम (5) में उल्लिखित विभागीय पदोन्नित सिमिति द्वारा किया जाएगा।
- (दो) प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रमबद्ध मान के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए 20 अंकों में से अंक दिए जाएंगे —

उत्कृष्ट / बहुत अच्छा – 20 अच्छा – 15 औसत – 10

(तीन) गोपनीय रिपार्ट के मूल्यांकन के आधार पर, अभिप्राप्त अंकों को प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के सामने प्रविष्ट किया जाएगा तथा इन दोनों अंकों का जोड़ कुल अंक होगा।

- (चार) परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए कुल अंकों तथा गोपनीय रिपार्ट के मूल्यांकन द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर, अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। पैरा (1) में विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्ति, 25 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार उस क्रम में की जाएगी जिस क्रम में सूची में उनके नाम सूची में आये हों।
- (पांच) लिपिकीय सेवा में से नियुक्त कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता का क्रम, अंतिम सूची में मेरिट के क्रम में अवधारित किया जाएगा।
- (6) परिवीक्षा :— इस योजना के अधीन नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी को दो वर्ष की कालाविध के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इस कालाविध के दौरान, वह ऐसा प्रशिक्षण लेगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षाएँ, यदि कोई हो, उत्तीर्ण करेगा, जैसा कि विहित किया जाए। यदि कोई अभ्यर्थी परिवीक्षा कालाविध के दौरान पद हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाए, तो उसे उसके मूल लिपिकीय पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा। प्रतिवर्तन की दशा में, परिवीक्षा अविध के दौरान उस पद पर की गई सेवा को, लिपिकीय सेवा में की गई सेवा समझा जाएगा।

परिशिष्ट प्रश्न–पत्रों की पाठ्यचर्या

प्रश्न पत्र-1

(पूर्णांक ५० अंक)

- (1) सामान्य ज्ञान :— समसामयिक घटनाक्रम, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल तथा सम्बन्धित प्रसंग, छत्तोसगढ का इतिहास एवं भूगोल, छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य जानकारी। (15 अंक)
- (2) सामान्य हिन्दी :10–12 पंक्तियों की संक्षेपिका के आधार पर संक्षिप्त प्रश्न, समान शब्दों के अर्थ में भिन्नता, तथा किसी भी निर्धारित विषय पर 150 शब्दों में निबंध।
 (15 अंक)
- (3) प्रारंभिक गणित :— गुणा, भाग, दशमलव प्रणाली में भिन्न, प्रतिशत, लाभ—हानि, औसत, क्षेत्रफल, आयतन, अनुपात, साधारण ब्याज तथा सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न। (20 अंक)

प्रश्न पत्र-2

(पूर्णांक 50 अंक)

- (1) विभाग में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावलों का ज्ञान :— (15 अंक) विभाग में सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले विभिन्न शब्दों का उल्लेख किया जाए, जिनका विभाग में विशिष्ट अर्थ होता है, और जिसका ज्ञान आवश्यक है।
- (2) शासकीय सेवा से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान :— (20 अंक) वेतन, भत्ते, अवकाश, अंशदायी पेंशन योजना, भर्ती के नियम, आचरण नियम के संबंध में प्रारंभिक ज्ञान।
- (3) विभाग से संबंधित नियमों, इत्यादि का ज्ञान :— (15 अंक) विभिन्न अधिनियमों, नियमों, उपनियमों, निर्देशों इत्यादि का ज्ञान, जिनके अधीन विभाग, कार्य करता है से संबंधित प्रश्न।
- टीप :— (1) नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो प्रश्न—पत्र वस्तुनिष्ठ पद्धति के आधार पर तैयार कर सकते हैं, इस संबंध में सूचना पहले ही विज्ञापन में दे दी जाए कि परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धति से होगी।
 - (2) उपर्युक्त पाठ्यचर्या विवरणात्मक है। विभाग अपने विवेक एवं आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन कर सकता है।

अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2020

क्रमांक एफ 1–61/2017/30/सं. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19–03–2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्बलगन पी., सचिव.

Atal Nagar, the 19th March 2020

NOTIFICATION

No. F-1-61/2017/30/Cult. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of the service of the Chhattisgarh, **Directorate of Archaeology, Archives, Museums, Official Language and Culture Class-III (Non-Gazetted, Non-Clerical) Service**, namely:-

RULES

1. Short title and Commencement.-

- (1) These rules may be called "The Chhattisgarh, Directorate of Archaeology, Archives, Museums, official language and Culture Class -III (Non-Gazetted, Non-Clerical) Service Recruitment Rules, 2020".
- (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the "Official Gazette of Chhattisgarh".
- 2. **Definitions.** In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Appointing Authority" in respect of services means the Commissioner/Director, Archaeology, Archives, official language and Culture:
 - (b) "Committee" means a Selection Committee/ Departmental Promotion Committee constituted under rule 11 and 13 respectively;
 - (c) "**Examination**" means the competitive examination held for recruitment to the service conducted under rule 11 of these rules;
 - (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
 - (e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
 - (f) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
 - (g) "Scheduled Caste" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Articles 341 of the Constitution of India;
 - (h) "Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Articles 342 of the Constitution of India;
 - (i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-25-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
 - (j) "Service" means the Chhattisgarh, Directorate of Archaeology, Archives Museum, official language and Culture Class-III (Non-Gazetted, Non-Clerical) Service;
 - (k) "**State**" means the State of Chhattisgarh.

- **3. Scope and application. -** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.
- **4. Constitution of the service.** The service shall consist of the following persons, namely:-
 - (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;
 - (2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
 - (3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.
- **Classification, scale of pay etc.-** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I;

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment. -

- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-
 - (a) by direct recruitment, through competitive examination or selection on the basis of merit and interview;
 - (b) by promotion of members of the service as specified in column (2) of schedule IV.
 - (c) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such post in such service, as may be specified in this behalf.
- (2) The number of the persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.
- (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Government.

- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, then he may, with the prior concurrence of the General Administrative Department of the Government, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.
- (5) For the post to be filled up by direct recruitment through selection on the merit basis, the criteria shall be prescribed by the Government. However, it shall be mandatory for Appointing Authority to constitute a selection committee for this purpose, which may adopt any other appropriate criteria other than these criteria with the consent of the Government.
- (6) At the time of recruitment to the service, the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time by the General administration Department of the Government shall apply.
- 7. Appointment in service. All appointments to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.
- **8.** Conditions of eligibility for direct recruitment. In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-
 - (I) Age
 - (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the 1st day of January of the year in which the advertisement for the post is published.
 - (b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes (Non-Creamy-layer).
 - (c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.
 - (d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below:-

- (i) A candidate, who is a permanent or temporary government servant should not be more than 38 years of age;
- (ii) A candidate, holding a post temporarily/permanently and applying for another post should not be more than 38 years of age. this concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;
- (iii) A candidate who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of seven years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;

Explanation - The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary government service of this state or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years before from the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in government service.

(e) A candidate who is an "Ex-serviceman" shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation - The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service, namely:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

- (ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on -
 - (a) Completion of short term engagement;
 - **(b)** Fulfilling the conditions of the enrolment.
- (iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;
- (iv) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including Short-Service Regular Commissioned Officers);
- (v) Ex-servicemen discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
- (vi) Ex-Servicemen invalidated out of service;
- (vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
- (viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.
- (f) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984.
- (g) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidates.
- (h) The upper age limit shall be relaxed up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards.
- (i) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.
 - (j) Candidates obtaining the benefit of relaxation in maximum age limit on the basis of their category (Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Women/ Widow/ Divorce etc.) shall be given additional relaxation available in maximum age limit as usual.

Provided that is any case the maximum age shall not exceed 45 year irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

- (k) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.
- **Note :-** (1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in para (i) and (ii) of sub-clause (d) of clause (I) of rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.
- (2) In no other case these age limits shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.
- (II) Educational qualifications and experience The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed for the service as shown in column (5) of Schedule-III.
- (III) (A) Fees The candidate must pay the fees as prescribed by the Government.
 - **(B)** Medical Fees The candidate who has been required to appear before medical board must pay the fees, as prescribed by the Government, to the Chairmen of Medical Board before Medical test.
- **9. Disqualification.** (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Appointing Authority to be a disqualification for appearing in the examination/selection.
 - (2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post;

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical

disability which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed;

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

- (4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the appointing authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.
- (5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post;

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.-

- (1) The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination/selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the appointing authority shall not be allowed to appear in the examination/selection.
- (2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any discrepancy is found in the documents submitted by him/her, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Appointing Authority.

11. Direct Recruitment by Competitive Examination/ Selection.—

(1) Direct Recruitment by Competitive Examination :-

- (i) Appointing Authority shall constitute a Selection Committee comprising of three member's.
- (ii) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such interval as the Appointing Authority may, in consultation with the Government from time to time, determine.
- (iii) The examination shall be conducted by Selection Committee in accordance with orders issued by the Appointing Authority, from time to time.

(2) Direct Recruitment by Selection. -

- (i) The selection of the candidates to the service shall be held at such intervals as may be determined by the Appointing Authority.
- (ii) Selection of the candidate to the service shall be made by the Selection Committee on the basis of interview.
- (iii) Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority at appropriate time intervals.
- (3) At the time of recruitment to the service, the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under the said Act by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall be applicable.
- (4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (5) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Appointing Authority keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (3) as the case may be.
- (6) There shall be 30% posts reserved for women candidates, in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (7) In such cases, where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for the post to be filled by direct recruitment and it is in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, then the Appointing Authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).
 - (8) In addition to the above, posts for person with disability and exservicemen shall be reserved in accordance with the direction issued

by the General Administration Department of the Government, from time to time.

12. List of candidates recommended by the Selection Committee. –

- (1) The Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority, arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who, though not qualified by such standard but declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in the administration. Lists so prepared shall also be published for information to the general public.
- (2) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
- (3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

12-(A). Selection by limited Departmental examination on the post of Senior Guide from the Clerical service cadre.-

- (1) 25 percent post vacancies available of Senior Guide shall be filled by the clerical service of the offices of the Director of Archaeology, Archives, Museums and Culture by limited competitive examination as per scheme specified in schedule –V, by the Appointing Authority on such date of every year, as may be determined.
- (2) The available vacancies of the posts of Senior Guide, shall be reserved the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-Creamy-layer), as per provisions (as amended) of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyan, Anusuchit Jan jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the Government from time to time.
- (3) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 (1) irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

- (4) There shall be 30% posts reserved for women candidates, in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (5) List of recommended suitable candidates for appointments.— For the purpose of schedule –V, there shall be prepare a list of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Appointing Authority and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-Creamy-Layer), who, though not qualified by such standard but declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in the administration. this list shall be valid for one year from the date of issued by the selection committee.
- (6) Subject to provision of these rules, for appointment on the available vacancies of the candidate shall be considered in order in which their name appear in the list.
- (7) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

13. Appointment by promotion. –

(1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates;

Provided that under this sub-rule, for constitution of the committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam,1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

- (2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.
- (3) The promotion shall be made in accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.
- (4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.
- (5) Certification by the Appointing Authority Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the

Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the state government and the he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

14. Conditions of eligibility for promotion.-

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or in any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation :- The method of computation for eligibility for promotion – The calculation of period of qualifying service on the 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

- (2) The promotion shall be made in accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.
 - (3) The Promotion shall be made in accordance with the order issued by the General Administration Department from time to time and as per Model Roster.

15. Preparation of list of suitable candidate. -

- (1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the condition prescribed in rule 13 and 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of period of one year from the date of preparation of the list.
- (2) The Selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respect (seniority subject to fitness).
- (3) The name of employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or post as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

Explanation - The person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim

to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Select List. -

- (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be approved Select List for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts as mentioned in column (4) of the said schedule.
- (2) The select list shall ordinarily be valid till 31st December of the calendar year from the date of its preparation;

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and may if he thinks fit remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the service from the select list. –

- (1) Appointment of the employee included in the select list to post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such employees appear in the select list as per Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.
- (2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment, there occurs any deterioration in his work, which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. Probation/Trial -

- (1) (a) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.
 - **(b)** If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period up to a maximum of 1 year.
 - (c) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an employee, then the services of such probationer can be terminated.
- (2) Every person recruited by promotion to the service shall be appointed in officiating capacity for a period of 2 years.

- **19. Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.
- **20. Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply, in such manner as may appear to it to be just and proper;

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21. Repeal and Saving. –

(1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules;

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall effect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, ANBALAGAN P., Secretary.

SCHEDULE - I (See Rule 4 and 5)

Classification of the Service, Pay Scale and Number of posts included in the Service

S.	Name of the posts	Number	Classification	Scale of pay	Remarks
No.	included in the service	of posts			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Programmer	01	Class – III	Pay Band 9300-34800	As per
	<u> </u>		(Non-Gazetted Non-Clerical)	Level-09	recommendation of the Bramhaswarup Committee.
2.	Supervisor	01	do	Pay Band 9300-34800 Level -09	As per recommendation of the Bramhaswarup Committee.
3.	Chemist	02	do	Pay Band 9300-34800 Level -09	As per recommendation of the Bramhaswarup Committee.
4.	Senior Guide	03	do	Pay Band 9300-34800 Level -09	As per recommendation of the Bramhaswarup Committee.
5.	Assistant Archive Officer	01	do	Pay Band 9300-34800 Level -09	
6.	Instructor	02	do	Pay Band 9300-34800 Level-09	
7.	Assistant Librarian	02	do	Pay Band 9300-34800 Level -08	
8.	Deputy Engineer	04	do	Pay Band 9300-34800 Level -08	
9.	Draftsman	02	do	Pay Band 9300-34800 Level-08	
10.	Artist	02	do	Pay Band 9300-34800 Level-08	As per recommendation of the Bramhaswarup Committee.
11.	Assistant Horticulture Development Officer	01	do	Pay Band 9300-34800 Level-08	By Deputation
12.	Research Assistant	02	do	Pay Band 9300-34800 Level -08	
13.	Excavation Assistant	03	do	Pay Band 5200-20200 Level-07	
14.	Translator	02	do	Pay Band 5200-20200 level -07	
15.	Technical Assistant (Writing)	02	do	Pay Band 5200-20200 Level -07	
16.	Guide	04	do	Pay Band 5200-20200 Level -07	

	_				
17.	Assistant Chemist	02	do	Pay Band 5200-20200	
				Level -07	
18.	Assistant Artist	02	do	Pay Band 5200-20200	
				Level-07	
19.	Assistant Archivist	01	do	Pay Band 5200-20200	
				Level -07	
20.	Greeter	02	do	Pay Band 5200-20200	
				Level -07	
21.	Videographer/	01	do	Pay Band 5200-20200	As per
	Photographer			Level-07	recommendation of
					the Bramhaswarup
					Committee.
22.	Surveyor	03	do	Pay Band 5200-20200	
				Level -06	
23.	Molder/ Salesman	02	do	Pay Band 5200-20200	
				Level -04	
24.	Binder	01	do	Pay Band 5200-20200	
				Level -04	
25.	Driver	03	do	Pay Band 5200-20200	
				Level -04	

SCHEDULE - II

(See Rule 6)

Method of Recruitment

S.	Name of	Total	Percentage of	Remarks		
No.	service/ Post	number	By direct	By promotion	By transfer/	
		of duty	recruitment	(See rule 6 (1)	deputation	
		Post	(See rule-	(b))	of person	
			6(1)(a))		from other	
					services (See	
					rule 6(1)(c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Assistant	01	100%	-	-	-
	programmer					
2.	Supervisor	01	100%	-	-	-
3.	Chemist	02	50%	50%	-	-
4.	Senior Guide	03	-	75% from the post	-	(Rule 12-(A))
				of Instructor, and		
				25% from		
				employees of the		
				clerical service.		
5.	Assistant	01	-	100%	-	-
	Archive					
	Officer					
6.	Instructor	02	100%	-	-	-
7.	Assistant	02	100%	-	-	-
	Librarian					
8.	Deputy	04	100%	-	-	-
	Engineer`					
9.	Draftsman	02	50%	50%	-	-
10.	Artist	02	-	100%	-	-
11.	Assistant	01	-	-	100%	Ву
	Horticulture					Deputation
	Development					
	Officer					
12.	Research	02	50%	50%	-	In case of
	Assistant					non-
						availability of
						suitable
						person for
						promotion,
						post shall be
						filled by
						direct
						recruitment.

12	Eventina	02	1000/			
13.	Excavation	03	100%	-	-	-
	Assistant					
14.	Translator	02	100%	-	-	-
15.	Technical	02	100%	-	-	-
	Assistant					
	(Writing)					
16.	Guide	04	100%	-	-	-
17.	Assistant	02	100%	-	-	-
	Chemist					
18.	Assistant Artist	02	-	100%	-	-
19.	Assistant	01	-	100%	-	-
	Archivist					
20.	Greeter	02	100%	-	-	-
21.	Videographer/	01	100%	-	-	-
	Photographer					
22.	Surveyor	03	100%	-	-	-
23.	Molder/	02	100%	-	-	-
	Salesman					
24.	Binder	01	100%	-	-	-
25.	Driver	03	100%	-	-	-

SCHEDULE - III

(See rule 8)

Age and Qualification of the person to be filled in recruited directly

S.	Name of	Minimum	Maximum	Prescribed Educational qualification & Experience
No.	Posts	Age Limit	Age Limit	
	included in			
	the service			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Assistant Programmer	18 years	35 years	M.C.M/M.C.A./M.S.C./B.E./B. Tech. degree in relevant subject or Computer science from any recognized University/Institution or Graduate degree in second division from any recognized University with 'A' level course from D.O.E. or P.G.D.C.A. from any recognized University and three years experience in Programming/Software
				Development. Desirable - Preference shall be given to person who have experience of working in Unix/ Open source Software/ Windows N.T.
2.	Supervisor	18 years	35 years	 Compulsory. – Passed post graduate examination in second class in Ancient Indian History, Culture and Archaeology from any recognized University. Desirable - Preference shall be given to a person who has practical experience of conservation/excavation works of Archaeological estate.
3.	Chemist	18 years	35 years	Compulsory. – Post graduate degree in second class in Chemistry from any recognized University. Desirable - Practical work experience of chemical conservation work of archaeological estate.

4.	Instructor	18 years	35 years	 (1) Passed graduate examination from recognized University. (2) From any recognized Board/Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council- a) For Stenographer Hindi – Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken.) b) For Stenographer English - Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).
				c) For post of Instructor – Passed certificate course of Hindi & English Stenography (Shorthand) examination as per specified in c clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).
				(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour.(efficiency test for speed shall be taken).
5.	Assistant Librarian	18 years	35 years	Compulsory. – Post graduate degree in library science from any recognized University. Desirable- 3 years work experience of library science
				in any recognized Library.
6.	Deputy Engineer	18 years	35 years	Compulsory. – Passed higher Secondary and Passed three years diploma in civil engineering from any recognized institute.
				Desirable - At least 2 years work experience of relevant work.
7.	Draftsman	18 years	35 years	Compulsory. – Passed higher Secondary and Passed three years diploma from any recognized institute or certificate in draftsman.
				Desirable - At least 2 years experience of relevant work.

8.	Research Assistant	18 years	35 years	Compulsory. – Passed M.A. and equivalent degree from any recognized University in which Hindi should be as one subject.
				Desirable - Preference shall be given to person who have knowledge of Sanskrit and law and preference shall be given to person who have a Ph.D. in linguistics/literature.
9.	Excavation Assistant	18 years	35 years	Compulsory. – Post graduate degree in second class in Ancient Indian History, Archaeology and Culture from any recognized University.
				Desirable - Preference shall be given to a person who has two years practical experience of conservation/ excavation works of Archaeological estate.
10.	Translator	18 years	35 years	Compulsory. – Post graduate degree in Hindi/English from any recognized University.
				Desirable- Another language on graduate level i.e. if the Hindi/Sanskrit Literature is on the post graduate level, then should be English literature on graduate level and if the English literature is on the post graduate level, then should be Hindi subject as optional subject on graduate level. preference shall be given to the person who have Knowledge of law and Sanskrit.
11.	Technical Assistant (Writing)	18 years	35 years	Compulsory. – Post graduate degree in second class in Ancient Indian History, Archaeology and Culture from any recognized University.
				Desirable- Work knowledge of any language – Sanskrit, Brahmi, Pali, Arabic, Farsi and experience of writing.
12.	Guide	18 years	35 years	Compulsory. – Post graduate degree in second class in Ancient Indian History from any recognized University/ Diploma in Archeology/ Museology or equivalent.
13.	Assistant Chemist	18 years	35 years	Compulsory. – Passed graduate examination in second class in Chemistry from any recognized University.
14.	Greeter	18 years	35 years	Compulsory. – Graduate degree from any recognized University. One year diploma in Computer Application from any recognized institute. Social engineering work/ M.S.W. or diploma in Journalism from any recognized institute.

15.	Videographer/ Photographer	18 years	35 years	 Compulsory. – Passed higher Secondary and Diploma certificate in Videography/ Photography from any recognized institute. Desirable - At least three years experience of Static Photography/ Field Photography.
16.	Surveyor	18 years	35 years	 Compulsory. – Passed higher secondary examination and certificate in surveyor from any recognized institute. Desirable - Preference will be given to a person who has 2 years of practical work experience in surveyor.
17.	Molder/ Salesman	18 years	35 years	Compulsory. – Passed higher secondary examination and certificate of ITI in molding trade from any institute recognized by the Government.
18.	Binder	18 years	35 years	Compulsory. – Passed higher secondary examination and certificate of ITI in binding trade from any institute recognized by the Government.
19.	Driver	18 years	35 years	Compulsory. – Passed 8 th Class and Living Driving License of light or heavy driving.

Note :- The upper age limit shall be relaxable for candidates who are local resident of the State of Chhattisgarh, as per the instruction issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

SCHEDULE - IV (See Rule 13 and 14)

S. No.	Name of service or Post from which Promotion to be made	Period of experience for promotion	Name Post to which Promotion is to be made	Name of member's of the Departmental Promotion Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Chemist	5 years	Chemist	(1) Commissioner/ Director, Archeology, Archives, Museum, official language and Culture - Chairman (2) Deputy Director - Member (3) Officer nominated by the Commissioner/ Director - Member (4) Deputy Director (Administration) Administrative Officer - Member	-
2.	75% from the Guide post, and 25% from the Clerical Service	5 years	Senior Guide	do	-
3.	Translator	5 years	Research Assistant	do	-
4.	Surveyor	12 years	Draftsman	-do	-
5.	Assistant Artist	5 years	Artist	do	-
6.	Molder/ Salesman	5 years	Assistant Artist	do	-
7.	Assistant Archivist	5 years	Assistant Archive Officer	do	-
8.	Binder	5 years and Post Graduation in Indian History or equivalent	Assistant Archivist	do	-

SCHEDULE - V (See Rule 12-(A))

Scheme for appointment to the post of Senior Guide from clerical service by limited Competitive Examination

- (1). Short title: This scheme may be called Scheme for recruitment by selection of Senior Guide from clerical service of the Chhattisgarh, Directorate of Archeology, Archives, Museum, official language and Culture.
- (2). (a) Eligibility: Only member of clerical service having following qualifications, may eligible in the scheme, namely:-
 - (i) Who have completed five years regular service in clerical cadre in the office/department of the Directorate of Archeology, Archives, Museum, official language and Culture.
 - (ii) Who possesses educational qualification Post graduate degree in Ancient Indian History, Archeology and Culture/ Diploma in Museology/ Archeology from a recognized university.
 - (iii) The age of the candidates should not exceed 45 years on 1st January of that year on which selection is made for appointment. Upper age limit for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates shall be 50 years.
 - **(b) Physical Qualification :-** If Physical Qualification are prescribed for direct recruitment on any posts then the same should be laid down.
- (3). Selection: Selection for appointment -
 - (1) Shall be done on the basis of Marks secured by successful candidates in the examination; and
 - (2) Evaluation of Confidential Report of last five years of concerned employees shall be consider for selection.
- (4). Examination:- (i) Written examination shall be conducted every year by the Appointing Authority in such manner, such dates and such places as may be determined by the him.
 - (ii) Written examination shall consist of two question papers and the period of 2½ hours for each paper carrying 50 marks. In order to pass out in the examination, at least 50% marks must be obtained in each question paper.

(iii) Question paper shall be prepared by the Appointing Authority and shall include the following subjects. –

Question Paper-I

General Knowledge, General Hindi and Elementary Mathematics.

Question Paper-II

- 1. Knowledge of prevailing vocabulary in Department.
- 2. General knowledge regarding Government Service.
- 3. Knowledge of Acts, Rules, Byelaws, Manual etc. relating to Department under which Department carry out the works.
- (iv) Syllabus for question paper are mentioned in Annexure attached herewith.
- (v) Only such employees, who fulfill qualifications as mentioned in above Para (2), shall eligible to admission in this examination, applications shall be invited by Appointing Authority from candidates who wish to admission in the examination at least one month prior to the specified date for examination. Only such applicants, who shall be found to be eligible for admission in the examination, shall be intimated regarding date, place and time of the examination.
- (vi) Evaluation of answer sheet shall be done by the Departmental Officer nominated by the Appointing Authority in this behalf.
- (vii) The list of such candidates, who have obtained 50% or more marks in each question paper, shall be prepared separately.

(5). Evaluation of Confidential Report and Final Selection list:-

- (i) The Confidential Report of last five years such candidates, whose names have been included in the select list prepared under Para 4 (vii), shall be evaluated by Departmental Promotion Committee mentioned in column (5) of schedule-IV.
- (ii) Each candidate shall be given following marks Out of 20 marks for every year as per value of order -

Excellent / Very Good - 20 Good - 15 Average - 10

(iii) Marks received on the basis of evaluation of the Confidential Report shall be mentioned against the marks obtained in written examination by each candidate and total (sum) of both the marks shall be calculated total marks.

- (iv) Final select list shall be prepared on the basis of total (sum) of marks obtained in examination and marks obtained in evaluation of Confidential Report. Appointment on the post specified in Para (i) shall be made as per 25% reservation in the order in which their names appear in the list.
- (v) Order of mutual seniority of employees appointed from clerical service shall be determined in merit order of final list.
- (6) **Probation:-** Every employee appointed under this scheme shall be kept on probation of two years. During this period, they shall take training and passed such departmental examinations, if any, as may be prescribed. If any candidate found not suitable to the post during probation period, then they shall be reverted on their original clerical post. In case to reversion, services rendered to that post during probation period shall be deemed to be services done on clerical service.

APPENDIX SYLLABUS FOR THE QUESTION PAPER'S

QUESTION PAPER - 1

(Maximum Marks-50)

(1) General Knowledge:-

Current affairs, History of India, Geography of India and allied references, History and Geography of Chhattisgarh, General knowledge about Chhattisgarh. (15 marks)

(2) General Hindi:-

Short Questions based on a 10-12 line, précis distinguishing meaning of similar words and an essay on any subject limited to 150 words. (15 marks)

(3) Elementary Mathematics :-

Multiplication, Division, Fractions in decimal system, Percentage, Profit and Loss, Average, Area, Volume, Ratio, Simple Interest and questions related to General Mental Ability.

(20 marks)

QUESTION PAPER – 2

(Maximum Marks-50)

(1) Knowledge about Government Service:-

Pay, Allowances, Leave, Contributory Pension Scheme, Recruitment Rules, General knowledge, elementary knowledge about conduct rules. (15 Marks)

(2) Knowledge of vocabulary current in the department:

The different words generally used in the department which have specific meaning in the department and the knowledge of which is essential to be mentioned.

(20 Marks)

(3) Knowledge of departmental rules etc.:-

Knowledge of different Acts, Rules, Byelaws, Instructions etc. relating to the Department, under which Department carry out the works. (15 Marks)

- **Note :-** (1) Question papers may be prepared on the basis of objective type if the department so desires. The information in this regard that the examination would be held on the basis of objective type will be published earlier in the advertisement.
 - (2) The above syllabus is of descriptive type. The Department may amend on this in accordance with the exigency, on its discretion.